न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 520/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– रहमत खां पुत्र अब्दुल खां 2– जौसफ खां पुत्र अब्दुल खां 3– फतेह खां पुत्र अब्दुल खां 4– अनवर खां पुत्र अब्दुल खां 5– सलीम खां पुत्र मिरे खां 6– मुबारक खां पुत्र मिरे खां 7– फाती पत्नी मिरे खां 8– कमेखां पुत्र चान्दणखां 9– मेहरदीन खां पुत्र चानण खां 10–मेहरी पत्नी दीनेखां 11– दली पत्नी गफूरखां 12– शकुर खां पुत्र आरब खां 13– आसु पत्नी आरब खां 14– शेरे खां पुत्र आलम खां 15– बाबु खां पुत्र आलम खां सभी जातियान मुसलमान निवासीगण मगासर (जैतसर) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– भवरू खां पुत्र हाजी खां 2– समदे खां पुत्र हाजी खां 3– दिने खां पुत्र हाजी खां 4– यारूखां पुत्र हाजी खां 5– तमासी खां पुत्र हाजी खां 6– अमु खां पुत्र हाजी खां 7– हनीफो पत्नी हाजी खां 8– सफीखां पुत्र निजाम खां 9– शकुरखां पुत्र निजाम खां 10–इशेंखो पुत्र निजाम खां 11–धनू पत्नी निजाम खां 12–नूरेखां पुत्र ताजुखां सभी जातियान मुसलमान निवासीगण मगासर (जैतसर) तहसील शेरगढ जिला जोधपुर प्रफोर्मा पक्षकार 13–बरकत खां पुत्र अब्दुल खां 14– फिरोजी पत्नी चानण खां 15– अनवर खां पुत्र आरब खां 16– अदरीम खां पुत्र आरबखां 17– अकबर खां पुत्र आरब खां सभी जातियान मुसलमान निवासीगण मगासर (जैतसर) तहसील शेरगढ 18– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 7–6–2017 जो प्रकरण संख्या 5/2017 मे उपखण्ड अधिकारी शेरगढ केम्प न्याय आपके द्वार जैतसर मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सिद्वार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री छोटु सिह सोढा अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 12 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 11–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 से 12 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का बाबत अपने खातेदारी के खेत मौजा मगासर के खसरा नंबरान 1226, 1228, 1241, 1242, 1243

व 1244 कुल 6 खसरान की कुल 131.19 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि मे से खसरा नंबर 1244 की भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने का प्रस्तुत किया । जिसके सलंग्न फर्द मौका पैमाईश दिनांक 19–1–2017 की भी पेश की । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खसरा नंबर 1244 की 82.02 बिस्वा भूमि मे तहसीलदार शेरगढ को पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी करने के आदेश प्रसारित कर दिये । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पैमाईश रिपोर्ट के ही पत्थरगढी कर आदेश पारित कर दिये जबकि विधिवत पैमाईश रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पत्थरगढी के आदेश पारित किये जाने चाहिये थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 3. 14, 16 व 17 जो भारत से बाहर निवास करते है, उनकी तामिल करवाये बिना तथा अप्रार्थी संख्या 12 जो दिनांक 11–4–2017 को फोत हो चुका था उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे जवाब हेतु विचाराधीन था तथा तारीख पेशी दिनांक 7–6–17 मुकर्रर थी परंतु उससे पहले ही आदेशिका दिनांक 11–5–17 से प्रकरण को लोक अदालत केम्प मे रेफर करते हुए दिनांक 7–6–17 को न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र, जेतसर मे रखते हुए अप्रार्थीगण को अनुपस्थित बताते हुए निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 7–6–2017 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि हमारे संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जैतसर के खसरा नंबरान 1226, 1228, 1241, 1242, 1243 व 1244 कुल 6 खसरान की कुल 131.19 बीघा संयुक्त खातेदारी की भूमि मे से हमने खसरा नंबर 1244 की भूमि के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने विधिवत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसके साथ अपीलाधीन भूमि की

पैमाईश रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि खसरा नंबर 1241 व 1242 मे रेस्पो0 की ढाणियां है जिनमे रेस्पो0 निवास करते है तथा खसरा नंबर 1243 मे ढाणियां व बाडा है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने कथन किया कि हमने हमारे खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1244 व 1226 के चारो ओर तारबदी करने गये तो वर्तमान अपीलांट ने तारबंदी करने से मना किया, तो हमने हमारे उक्त खातेदारी के खेत की पैमाईश करने हेतु आवेदन किया तों वर्तमान अपीलांटगण मौके पर पैमाईश कार्य पूर्ण नही करने दे रहे है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दिनांक 19–1–2017 की फर्द मौका रिपोर्ट तथा अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पे0 संख्या 1 से 12 ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1244 की संयुक्त खातेदारी की भूमि की नक्शा ट्रेस मे सीमाकंन अनुसार पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ कराये जाने के प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये है जिनमे फर्द मौका दिनांक 19–1–2017 का अवलोकन एवं अध्ययन करंने पर प्रकट है कि रेस्पो0 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरा नंबर 1244 की पैमाईश करने हेतु जैतसर की सरहद पर स्थित मुटाम संख्या 96, 97, 98, 99 एवं स0मो0. सोमेसर तथा जैतसर पर स्थित मुटाम संख्या 86, 87 से पैमाईश कार्य दिनांक 17–1–2017 से दिनांक 19–1–2017 तक पटवारी हल्का सेतरावा मय मौतबिरान खातेदारो की उपस्थिति मे प्रारंभ किया गया परंतु दिनांक 19–1–2017 तक केवल तीन भुजाओ का सीमांकन किया गया परंतु खसरा नंबर 1219 व 1220 मे विवाद होने से पैमाईश कार्य पूर्ण नही होने का उल्लेख पटवारी हल्का ने किया है, इससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा नंबर 1244 बाबत कोई स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थी । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा तहसीलदार शेरगढ को उक्त खसरा नंबर 1244 की भूमि की पुलिस इमदाद के साथ पत्थरगढी करने का आदेश पारित कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे सम्पन्न हुई कार्यवाही से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे कुछ पक्षकारो की तामिल पूर्ण करवाये बिना, उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा मृत व्यक्ति के कायम

मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, वह विधिसम्मत नही है ।

उपरोक्त विवेचन एर्व विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7–6–17 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे पहले खसरा नंबर 1244 की भूमि के चारो ओर के सभी पडौसी खातेदारो एवं हितबद्ध पक्षकारो को नोटिस जारी कर, उनकी उपस्थिति मे खसरा नंबर 1244 की भूमि का सीमाज्ञान करावे तथा निर्विवादित सीमा ज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः नये सिरे से पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 11–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(मानाराम पटेल) 11/10/18
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर